कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून।

पत्रांक संख्या– /शि0लि0/2026 दिनांक– फरवरी, 2026

विषय– श्रीमती कंचन राणा ग्राम प्रधान सौड़ा सरोली के द्वारा जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में योजित जनता दरबार में दिनांक 04.12.2025 को दिये गये शिकायती प्रार्थना–पत्र के संबंध में।

सेवा में,

औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी (विक्रय),
गढ़वाल मंडल, देहरादून।

उपरोक्त विषयक श्रीमती कंचन राणा ग्राम प्रधान सौड़ा सरोली के द्वारा जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में योजित जनता दरबार दिनांक 04.12.2025 को दिये गये शिकायती प्रार्थना–पत्र जिसमें उनके द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुर में संचालित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में मरीजों को दवाईयां उपलब्ध न होने तथा उक्त जन औषधि केंद्र के स्वामी के द्वारा स्वास्थ्य केंद्र के बाहर भी एक अन्य मेडिकल स्टोर संचालित किये जाने का उल्लेख अपने शिकायती प्रार्थना पत्र में किया गया। उक्त शिकायती प्रार्थना पत्र में अधोहस्ताक्षरी एवं वरिष्ठ औषधि निरीक्षक के द्वारा मौके की जांच की गई जिस पर जांच उपरान्त निम्नलिखित अनियमिताये पायी गयी–

1– उक्त जन औषधि केंद्र के स्वामी श्री बलवीर रावत द्वारा सामुदायिक केन्द्र के बाहर भी लगभग 25 मी0 की दूरी पर एक अन्य मेडिकल स्टोर मै0 रावत मेडिकोज के नाम से संचालित किया जा रहा है। जिस कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्थित जन औषधि केंद्र में आये मरीजों एवं बाहर स्थित मेडिकल स्टोर से दवा खरीदने की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जिस कारण मेडिकल स्टोर के स्वामी को वित्तीय लाभ होने के कारण हितों का टकराव हो रहा है। इसके अतिरिक्त उक्त केंद्र पर बिलिंग संबंधी कार्य मैनुअल रूप से किया जा रहा है जबकि उक्त कार्य PMBI की ऑफिशियल सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाना चाहिए था।

2– वितरक के द्वारा मांगपत्र के अनुरूप दवाईयां उपलब्ध नहीं करायी जाती है। साथ ही फर्म स्वामी द्वारा PMBI की ऑफिशियल सॉफ्टवेयर पर दवाओं की आपूर्ति हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया। जिस कारण दवाईयों की उपलब्धता में कमी होने के कारण मरीजों को जन औषधि केंद्र से प्राप्त होने वाली सस्ती दवा की कमियों का सामना करना पड़ता है। उक्त जन औषधि केंद्रों द्वारा दवाओं के आपूर्ति का कार्य अनौपचारिक रूप से व्हाट्सएप के माध्यम से किया जा रहा है जबकि विधिवत रूप से उक्त आपूर्ति PMBI की ऑफिशियल सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाना चाहिए था।

3– सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुर में स्थित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में दवाईयों की कमी के संबंध में फर्म स्वामी द्वारा जन औषधि केंद्र के द्वारा दवाईयों की आपूर्ति हेतु PMBI के ऑफिशियल सॉफ्टवेयर पर नियमानुसार आपूर्ति की मांग नहीं की जाती है। न ही उनके द्वारा उक्त क्रम में कोई प्रयास किये जाते हैं। जिस कारण उक्त प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में दवाओं की कमी पायी गयी है।

4– सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुर में स्थित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के संचालन के द्वारा स्टॉक पंजिका व इनवेन्ट्री का रख–रखाव व्यवस्थित रूप से सही नहीं पाया गया।

प्रकरण में की गई जांच में पाई गई अनियमिताओं के क्रम में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, रायपुर में श्री बलवीर रावत के द्वारा स्वास्थ्य केंद्र के भीतर संचालित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र व उक्त के द्वारा स्वास्थ्य केंद्र के बाहर संचालित मेडिकल स्टोर से यह स्पष्ट होता है कि उक्त व्यक्ति के द्वारा भिन्न–भिन्न स्थलों पर दो मेडिकल स्टोर संचालित किये जा रहे हैं तथा औषधियों की कमी को पूर्ण करने हेतु अथक प्रयास नहीं किये गये हैं। जिस कारण प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में आये मरीजों को मजबूर होकर उक्त केंद्र में औषधियों की कमी के कारण सामुदायिक केंद्र के निकट संचालित मै0 रावत मेडिकोज से मरीजों के द्वारा दवा क्रय की जा रही है।

1– फर्म स्वामी श्री बलवीर सिंह रावत द्वारा उक्त दोनों औषधि विक्रय लाईसेंस प्राप्त किये जाने व नवीनीकरण किये जाने हेतु रेफिरिजरेटर का एक ही बिल अपलोड किया गया है। जिसका इनवॉइस

नं0 4000 व दिनांक 17.01.2009 को एक ही व्यक्ति श्रीमती दीप्ति रावत नि0–आमवाला देहरादून के नाम पर निर्गत है।

2– फर्म स्वामी द्वारा लाईसेन्स निर्गत/नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत Self Declaration में Air Conditoner कार्यशील अवस्था में स्थापित होना बताया गया जो कि नहीं है।

3– फर्म स्वामी द्वारा लाईसेंस निर्गत/नवीनीकरण के समय प्रस्तुत किरायानामा जो कि मात्र 11 माह के लिए 01.03.2020 से अनुबन्धित है। लेकिन किरायेदारी अनुबन्ध अवधि समाप्ति के बाद कोई नया किरायानामा विभागीय पोर्टल पर अपलोड़ नहीं है।

जिस पर फर्म स्वामी द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भीतर संचालित जन औषधि केंद्र में औषधियों का समुचित उपलब्धता न होना व सामुदायिक केंद्र के निकट एक अन्य औषधि विक्रय प्रतिष्ठान का संचालन किये जाने के कारण जन औषधि केंद्र में सस्ती औषधियों की उपलब्धता कम होने के कारण मरीजों को स्वास्थ्य केंद्र के बाहर स्थित मै0 रावत मेडिकोज से महंगी दर पर औषधि क्रय करने हेतु मजबूर होना पड़ रहा है। जिसमें फर्म स्वामी का व्यक्तिगत लाभ होना परिलक्षित हुआ है। उक्त अनिमियताओं के आधार पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुर में स्थित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के फर्म स्वामी श्री बलवीर सिंह रावत के द्वारा संचालित औषधि विक्रय लाइसेंस को निरस्त किये जाने की आख्या प्रेषित की गई है।

साथ ही फर्म स्वामी श्री बलवीर सिंह रावत के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के समीप मै0 रावत मेडिकोज के नाम से संचालित उक्त औषधि विक्रय लाईसेंस के क्रम में पाई गयी अनियमिताओं के क्रम में श्री मानेंद्र सिंह राणा, वरिष्ठ औषधि निरीक्षक के द्वारा फर्म स्वामी श्री बलवीर सिंह रावत को निर्गत व्यक्तिगत औषधि विक्रय लाइसेंस को निरस्त किये जाने की संस्तुति की गई है। उक्त प्राप्त अनियमिताओं के **आधार पर जनहित में** श्री मानेंद्र सिंह राणा, वरिष्ठ औषधि निरीक्षक **के द्वारा फर्म स्वामी श्री बलवीर सिंह रावत को निर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायुपर के भीतर संचालित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के औषधि विक्रय लाइसेंस व साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायुपर के समीप मै0 रावत मेडिकोज के औषधि विक्रय लाइसेंस को निरस्त** किये जाने की संस्तुति की गई है। उक्त संस्तुति एवं संयुक्त जांच मे पायी गयी अनियमितताओं के आधार पर श्री बलवीर सिंह रावत द्वारा संचालित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र व मै0 रावत मेडिकोज को निर्गत औषधि विक्रय लाईसेंसों को निरस्तीकरण किये जाने की संस्तुति की जाती है। उक्त संस्तुति जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन उपरान्त प्रेषित की जा रही है। प्रकरण में पायी गयी अनियमितताओं के क्रम में श्री बलवीर सिंह रावत द्वारा संचालित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र व मै0 रावत मेडिकोज को निर्गत औषधि विक्रय लाईसेंस को निरस्त करने की कार्यावाही करते हुए कृत कार्यावाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(राहुल आनंद)
भा0प्र0से0
संयुक्त मजिस्ट्रेट/
उप जिलाधिकारी मसूरी।

कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून।

पत्रांक संख्या– /शि0लि0/2026 दिनांक फरवरी, 2026

प्रतिलिपिः– 1. सचिव स्वास्थ्य, उत्तराखण्ड शासन महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।

2. मुख्य चिकित्साधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित।

संयुक्त मजिस्ट्रेट/
उप जिलाधिकारी मसूरी।